दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

(138)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

I/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा/2018/0383

1– श्रीमति सुमित्रा देवी पत्नि श्री भानसिंह तोमर,

2– श्रीमति श्याम कुंबर पत्नि राघवेन्द्र सिंह ठाकुर

निबासी– ग्राम आजादपुरा, तहसील ओरछा, जिला टीकमगढ़,

.............आवेदकगण

11-1-18

8-2-18

11-1-18

वनाम

म0 प्र0 शासन,

.... अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदकगण यह निगरानी न्यायालय **श्रीमान अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर द्वारा प्र0 क0 400/अ–19/2010–11 में पारित आदेष दिनांक 02/11/2017 से** परिवेदित होकर कर रहीं हैं, जो प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने में ब्यतीत समय कम करके समय सीमा में है। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदिका द्वारा एक अपील अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय में अनुविभागीय निवाड़ी, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0 क0 83/अपील/2009–10 में पारित आदेष दिनांक 11/10/2010 से परिवेदित होकर की गई थी, जो अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर द्वारा बिधि बिपरीत तरीके से अभिलेख के बिपरीत जाकर निरस्त कर दी गई। जिससे परिवेदित होकर इस माननीय न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानी के आधार

1– यह कि सभी अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा आलोच्य आदेष पारित करने से पूर्व इस बात को पूर्ण रूप से नजर अंदाज किया है कि, ग्राम बबेड़ी जंगल स्थित भूमि सर्वे नंबर 31/1/1 रकवा 2.26 हैक्टर का नायब तहसीलदार ओरछा द्वारा अपने प्र0क0 85/अ–19/1972–73 दिनांक 12/06/1970 को एक पटटा प्रदान किया गया था। जिसका इंद्राज पटवारी द्वारा राजस्व अभिलेख में नहीं किया

(3)

सुमित्रा देवी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक–I / निगरानी / टीकमगढ़ / भू0रा0 / 2018 / 0383

सुमित्रा देवी आदि विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–02–19	प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जदौन को ग्राहयता के तर्क पर सुना गया। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्र0क्र0 400 / अ–19 / 2010–11 में पारित आदेश दिनांक 02–11–2017 के विरूद्ध भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ मेरे द्वारा आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट होता है कि आवेदकगण ने तहसीलदार के समक्ष ग्राम बबेड़ी जंगल स्थित भूमि खसरा नंबर 31 / 1 / 1 रकबा 2.226 हैक्टेयर पर पट्टे का इन्द्राज अभिलेख में किये जाने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 28–04–2010 के द्वारा यह पाते हुये की आवेदकगण को कोई पट्टा प्रदाय नहीं किये जाने से आवेदन पत्र निरस्त किया। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा भी स्थिर रखा गया है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में सुनवाई का पूर्ण अवसर देने एवं अभिलेख का अवलोकन	

करने के पश्चात् प्रश्नाधीन भूमि नजूल पाई है, जिस पर आवेदिकागण का अवैधानिक कब्जा होने की स्थिति में उसे हटाने के भी आदेश दिये हैं। इस न्यायालय में भी आवेदकगण ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किये जिससे यह प्रमाणित हो सके कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में आवेदकगण को पट्टा प्रदाय किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई । दर्शित परिस्थितियों पर यह निगरानी प्रथम दृष्टया ही आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है।

4/ पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

(आर.के. जैन) 02/19
सदस्य